आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक–02.04.2026 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में आयोजित प्राधिकार के बैठक की कार्यवाही।

कार्यावली सं0– 01

प्राधिकार की गत बैठक दिनांक–02.03.2026 के कार्यवाही के अनुपालन पर विचार :–

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0–02

प्राधिकार की बैठक दिनांक –02.03.2026 के बाद निर्गत राष्ट्रीय परमिट का ब्यौरा :–

(क) राष्ट्रीय परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

(ख) कुल–**21** प्राधिकरण–पत्र निर्गत किए गये हैं।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0–03

प्राधिकार की बैठक दिनांक–02.03.2026 के बाद निर्गत पीक अप भान/ट्रक के स्थाई परमिट/अस्थायी परमिट का ब्यौरा :–

(क) ट्रक/पीक अप भान का स्थाई परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0–04

प्राधिकार की बैठक दिनांक –02.03.2026 के बाद बस/मिनी बस/सिटी राईड आदि के निर्गत अस्थाई/विशेष परमिट का ब्यौरा :–

बस/मिनी बस/सिटी राईड के कुल–268 (दिनांक 01.04.2026 तक) विशेष परमिट निर्गत किए गए हैं।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0–05.

प्राधिकार की बैठक दिनांक–02.03.2026 के बाद बस/मिनी बस/सिटी राईड आदि के स्थाई परमिट की स्वीकृति पर विचार:–

दिनांक–**02.04.2026** तक बस/मिनी बस के कुल–29 स्थायी परमिट की स्वीकृति पर विचार किया गया:–

क्र0 सं0	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं0/ वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण,	पूर्व से आवृत परमिट/आपत्ति/अभियुक्ति	निर्णय
1	2	3	4	5	6	7
1	मृत्युंजय कुमार	BR11PA-6589 (बस) 29-05-2017 Cap-41	पूर्णिया से त्रिवेनीगंज कुल खेप–02 कुल दूरी–420	12-01-2027 29-03-2026 10-07-2026 24-06-2026	आपत्ति अप्राप्त।	स्वीकृत।
2	कल्याण कुमार	BR11PD-6444 (बस) 21-03-2026 Cap-41	रूपौली से पूर्णिया कुल खेप–03 कुल दूरी–330	20-03-2028 19-06-2026 19-03-2027 20-03-2027	आवेदक अपने वाहन सं0– BR11PB-2242 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0–BR2021-SC-1709A में अंकित समय–सारणी पर उच्चतर मॉडल पर लेना चाहते है। परमिट की वैधता–09.08.2026 है।	**वाहन सं0–BR11PD-6444 उच्चतर मॉडल का वाहन है। अतएव स्थायी परमिट सं0–BR2021-SC-1709A को प्रर्त्यापित कर उस पर अंकित समय–सारणी पर नये वाहन का परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाती है।**
3	आदिति सिंहा	BR11T-7378 (बस) 25-04-2015 Cap-43	रूपौली से पूर्णिया कुल खेप–03 कुल दूरी–330	30-07-2026 19-04-2026 13-06-2026 30-07-2026	वाहन सं0–BR11T-7378 के वाहन स्वामी अपने वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0–BR2021-SC-0810A का नवीकरण करने हेतु आवेदन समर्पित की गई है। उक्त परमिट की वैधता दिनांक–09.04.2026 तक है।	**वाहन स्वामी के अनुरोध पर परमिट सं0–BR2021-SC-0810A के नवीकरण की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि 15 वर्ष पूरा होने तक यदि वाहन स्वामी अपने वैध वाहन से परमिट का प्रतिस्थापन नहीं करायेंगे तो 15 वर्ष पूर्ण होने की तिथि के बाद परमिट वैद्य नहीं माना जाएगा।**
4	स्मिता	BR11PD-5581 (बस) 06-01-2026 Cap-41	पूर्णिया से रूपौली कुल खेप–04 कुल दूरी–469	05-01-2028 04-04-2026 04-01-2027 05-01-2027	आपत्ति अप्राप्त	**स्वीकृत।**
5	मो0 साबिर	BR38P-7874 (बस) 13-12-2025 Cap-45	फतैहपुर से कटिहार कुल खेप–01 कुल दूरी–242	12-12-2027 03-06-2026 03-12-2026 12-12-2026	आपत्ति अप्राप्त	**स्वीकृत।**
6	सुभाष चन्द्र	BR11PD-9975 (बस) 19-01-2025 Cap-41	पूर्णिया से गलगलिया कुल खेप–01 कुल दूरी–300	18-01-2027 15-04-2026 08-03-2027 28-03-2027	आपत्ति अप्राप्त	**स्वीकृत।**

क्र0 सं0	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं0/ वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण,	पूर्व से आवृत परमिट/आपत्ति/अभियुक्ति	निर्णय
7	सुभाष चन्द्र	BR11PC-9997 (बस) 15-04-2023 Cap-41	गलगलिया से पूर्णिया कुल खेप–01 कुल दूरी–300	14-04-2027 04-01-2026 31-03-2027 12-05-2026	परमिट सं0–BR2024-SC-1242A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। परमिट की वैधता–30.06.2029 है। आपत्ति अप्राप्त	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यार्पणोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है।
8	शिव कुमार अग्रवाल	BR38P-6759 (बस) 04-12-2024 Cap-41	पूर्णिया से जोगबनी कुल खेप–02 कुल दूरी–360	03-12-2026 03-06-2026 03-12-2026 10-03-2027	परमिट सं0–BR2025-SC-0257A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। परमिट की वैधता–31.01.2030 है। आपत्ति अप्राप्त	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यार्पणोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है।
9	मोनिका कुमारी	BR11PD-3110 (बस) 28-06-2025 Cap-43	रूपौली से पूर्णिया कुल खेप–04 कुल दूरी–464	13-06-2027 25-04-2026 02-07-2026 27-06-2026	परमिट सं0–BR2025-SC-2573A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। परमिट की वैधता–29.08.2030 है। आपत्ति अप्राप्त।	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यार्पणोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है।
10	स्वराज कुमार सिंह	BR11PD-5650 (बस) 12-01-2026 Cap-45	पूर्णिया से रूपौली कुल खेप–04 कुल दूरी–424	11-01-2028 30-03-2026 21-01-2027 11-01-2027	आपत्ति अप्राप्त।	स्वीकृत।
11	सुभाष चन्द्र	BR11PD-7507 (बस) 19-01-2025 Cap-45	किशनगंज से दिघलबैंक कुल खेप–03 कुल दूरी–300	18-01-2027 15-04-2026 15-01-2027 16-01-2027	आपत्ति अप्राप्त।	स्वीकृत।
12	सालेहा खातून	BR11M-7833 (बस) 11-05-2013 Cap-41	पूर्णिया से बरबट्टा कुल खेप–02 कुल दूरी–300	28-07-2026 02-05-2026 24-08-2026 10-02-2027	परमिट सं0–BR2025-SC-0538A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। परमिट की वैधता–05.03.2030 है। आपत्ति अप्राप्त।	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यार्पणोपरांत परमिट की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि 15 वर्ष पूरा होने तक यदि वाहन स्वामी अपने वैध वाहन से परमिट का प्रतिस्थापन नहीं करायेंगे तो 15 वर्ष पूर्ण होने की तिथि के बाद परमिट वैद्य नहीं माना जाएगा।

क्र0 सं0	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं0/ वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण,	पूर्व से आवृत परमिट/आपत्ति/अभियुक्ति	निर्णय
13	इस्तियाक आलम	BR11T-8244 (बस) 15-07-2015 Cap-43	दिघलबैंक से किशनगंज कुल खेप–02 कुल दूरी–200	25-06-2026 07-04-2026 05-05-2026 19-10-2026	परमिट सं0– BR2025-SC-1575A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। परमिट की वैधता–29.05.2030 है। आपत्ति अप्राप्त।	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यार्पणोपरांत परमिट की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि 15 वर्ष पूरा होने तक यदि वाहन स्वामी अपने वैध वाहन से परमिट का प्रतिस्थापन नहीं करायेंगे तो 15 वर्ष पूर्ण होने की तिथि के बाद परमिट वैद्य नहीं माना जाएगा।
14	श्रीमति स्मिता	BR11T-6706 (बस) 23-01-2015 Cap-43	पूर्णिया से रूपौली कुल खेप–03 कुल दूरी–351	10-03-2026 07-06-2026 16-01-2027 16-11-2026	परमिट सं0–BR2021-SC-2438A से आवृत एवं STA पटना से निर्गत है। परमिट की वैधता–25.10.2026 है। आपत्ति अप्राप्त।	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यार्पणोपरांत परमिट की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि 15 वर्ष पूरा होने तक यदि वाहन स्वामी अपने वैध वाहन से परमिट का प्रतिस्थापन नहीं करायेंगे तो 15 वर्ष पूर्ण होने की तिथि के बाद परमिट वैद्य नहीं माना जाएगा।
15	सुनीता देवी	BR50P-5625 (बस) 20-02-2020 Cap-42	रूपौली से पूर्णिया कुल खेप–04 कुल दूरी–424	13-06-2026 18-05-2026 10-06-2026 19-01-2027	वाहन स्वामी सुनीता देवी के द्वारा आवेदन समर्पित किया गया है जिसमे उनके द्वारा अपने ही दुसरे वाहन के समय–सारणी में टकराहट के कारण आवेदन वापस लेने का अनुरोध किया गया है।	वाहन स्वामी द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में उक्त आवेदन को रद्द/वापस किया जाता है।
16	बी.एस.आर. टी.सी. पूर्णिया	BR11PD-2337 (बस) 29-03-2025 Cap-41	पूर्णिया से जोगबनी कुल खेप–02 कुल दूरी–340	28-03-2027 25-09-2026 NA 11-03-2027	परमिट सं0– BR2025-SC-1364A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। परमिट की वैधता–14.05.2030 है। आपत्ति अप्राप्त।	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यार्पणोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है।
17	बी.एस.आर.टी. सी. पूर्णिया	BR11PD-2338 (बस) 29-03-2025 Cap-41	पूर्णिया से जोगबनी कुल खेप–02 कुल दूरी–340	28-03-2027 25-06-2026 NA 11-03-2027	परमिट सं0–BR2025-SC-1379A से आवृत एवं STA पटना से निर्गत है। परमिट की वैधता–14.05.2030 है। आपत्ति अप्राप्त।	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यार्पणोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है।
18	शैलेन्द्र कुमार पाण्डे	BR11PD-0317 (बस) 30-07-2024 Cap-45	रौटा से पूर्णिया कुल खेप–03 कुल दूरी–318	29-07-2026 28-04-2026 28-07-2026 29-07-2026	परमिट सं0– BR2024-SC-1663A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। परमिट की वैधता–02.0.2029 है। आपत्ति अप्राप्त।	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यार्पणोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है।

क्र0 सं0	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं0/ वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण,	पूर्व से आवृत परमिट/आपत्ति/अभियुक्ति	निर्णय
19	शैलेन्द्र कुमार पाण्डे	BR11PD-6259 (बस) 03-03-2026 Cap-41	कटिहार से सहरसा कुल खेप–01 कुल दूरी–278	02-03-2028 01-06-2026 01-03-2026 02-03-2027	आपत्ति अप्राप्त।	**स्वीकृत।**
20	मो0 हरिश	BR38P-7939 (बस) 02-01-2026 Cap-41	सिकटी से पूर्णिया कुल खेप–01 कुल दूरी–196	01-01-2028 25-06-2026 25-12-2026 01-01-2027	आपत्ति अप्राप्त।	**स्वीकृत।**
21	उज्जवल कुमार	BR11PD-6249 (बस) 02-03-2026 Cap-41	कटिहार से भागलपुर कुल खेप–02 कुल दूरी–360	01-03-2028 26-05-2026 01-03-2026 01-03-2027	आपत्ति अप्राप्त।	**स्वीकृत।**
22	कमलेश कुमार कमल	BR37P-5762 (बस) 07-01-2025 Cap-45	दिघलबैंक से किशनगंज कुल खेप–04 कुल दूरी–400	06-01-2027 29-06-2026 01-01-2027 18-02-2026	परमिट सं0– BR2025-SC-0197A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। परमिट की वैधता–26.01.2030 है। आपत्ति अप्राप्त।	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यर्पणोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है।
23	मो0 सफ्फात आलम	BR38P-6001 (बस) 30-08-2016 Cap-42	किशनगंज से पूर्णिया कुल खेप–02 कुल दूरी–480	20-10-2026 19-03-2026 19-11-2026 19-08-2026	परमिट सं0–BR2024-SC-3032A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। परमिट की वैधता–27.12.2029 है। आपत्ति अप्राप्त।	वाहन की उम्र सीमा सितम्बर 2026 में 10 वर्ष पूर्ण हो जाएगी ऐसे में इसे प्रतिदिन केवल 400 कि0 मी0 की परिचालन दूरी अनुमान्य है। परमिट की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि 10 वर्ष पूरा होने से एक माह पूर्व वाहन स्वामी अपने वैध वाहन से अपने परमिट का प्रतिस्थापन करा लेंगे। 10 वर्ष पूर्ण होने की तिथि तक परमिट का प्रतिस्थापन नही कराने पर परमिट वैद्य नहीं माना जायेगा।
24	बी.एस.आर.टी. सी. पूर्णिया	BR01PS-0778 (बस) 13-05-2025 Cap-23	पूर्णिया से रौटा कुल खेप–02 कुल दूरी–212	12-05-2027 12-05-2026 27-04-2026 12-05-2026	वाहन सं0-BR37P-6756 के वाहन स्वामी मो0 नसीर आलम द्वारा रौटा प्रस्थान–9:01 पर आपत्ति दी गई है। आवेदक का रौटा प्रस्थान–9:03 है।	आपत्तिकर्त्ता द्वारा दिनांक–02.03.2026 का आहूत प्राधिकार के बैठक के कार्यावली सं0–5(19) पर स्वीकृत आवेदन से दिया है। आवेदक का परिचालन मार्ग पूर्णिया से रौटा है जबकि आपत्तिकर्ता का स्वीकृत मार्ग पूर्णिया से किशनगंज है। आपत्तिकर्ता द्वारा अपने मध्य बिन्दु रौटा पर आपत्ति दी गई है जहां पर 02 मिनट का समय अंतराल रखा गया है। आपत्ति निरस्त करते हुए परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाती है। तथा विभागीय नियमानुसार बसों का परिचालन करेंगे।

क्र0 सं0	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं0 / वाहन का प्रकार एवं मॉडल / वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण,	पूर्व से आवृत परमिट / आपत्ति / अभियुक्ति	निर्णय
25	शंकर सिंह	BR11PA-9127 (बस) 01-02-2016 Cap-41	ढोलबज्जा से पूर्णिया कुल खेप–02 कुल दूरी–332	05-02-2027 26-04-2026 30-12-2026 14-09-2026	(i) वाहन सं0–BR11T-9102 के वाहन स्वामी निलेश कुमार चौधरी द्वारा अपने स्थायी परमिट सं0–BR2021-SC-1947A से पूर्णिया प्रस्थान–16:25 पर आपत्ति दी गई है। आपत्तिकर्ता का पूर्णिया प्रस्थानः–16:28 है। (ii) वाहन सं0–BR11M-5579 के वाहन स्वामी देवनारायण यादव द्वारा अपने स्थायी परमिट सं0–BR2025-SC-2571A से ढोलबज्जा प्रस्थान–06:00 बजे, लालगंज प्रस्थान–06:35, मोहनपुर प्रस्थान–07:00, अंजारी प्रस्थान–07:20 एवं बलिया प्रस्थान–07:55, पर आपत्ति दी गई है। आपत्तिकर्ता का ढोलबज्जा प्रस्थान–06:15, लालगंज प्रस्थानः– 06:40, मोहनपुर प्रस्थान–07:05, अंजारी प्रस्थान–07:25 एवं बलिया प्रस्थान–08:00 है।	(i) आवेदक का परिचालन मार्ग ढोलबज्जा से पूर्णिया है जबकि आपत्तिकर्ता का परिचालन मार्ग रूपौली से पूर्णिया है। दोनों वाहन का परिचालन दूरी–60 प्रतिशत से अधिक समान है किन्तु आपत्तिकर्ता का वाहन सं0–**BR11T-9102** का दुरूस्ती प्रमाण पत्र दिनांक–12.02.2024 तक वैद्य है। आपत्तिकर्ता को निदेश दिया जाता है कि एक पक्ष के अंदर अपने वाहन का दुरूस्ती प्रमाण पत्र अद्यतन करवा लेंगे और प्रमाण प्रत्र अद्यतन होने की तिथि तक वाहन का परिचालन नहीं करेगें आवेदक पूर्णिया प्रस्थान बिन्दू पर निर्धारित समय–अंतराल रखते हुए एक सप्ताह के अंदर संशोधित समय–सारणी प्रस्तुत करेंगे जिसका प्रकाशन कार्यालय सूचना पट्ट पर एक सप्ताह के लिए किया जाऐगा। आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाएगी एवं आपत्ति प्राप्त होने पर इसे प्राधिकार के अगामी बैठक में रखा जाएगा। **(ii)** दिनांक–06.01.2026 को आयोजित प्राधिकार के बैठक की कार्यवाही के कार्यावली सं0–05(घ)(3)(**iv**) के प्रावधान अनुसार 0–4 बस परिचालन वाले मार्ग पर प्रस्थान बिन्दू पर पहले न्यूनतम 30 मिनट एवं बाद में न्यूनतम 15 मिनट का समय–अंतराल रखा जाना है। आवेदक द्वारा ढालेबज्जा प्रस्थान पर पहले 15 मिनट का अंतराल रखा गया है। जो नियम संगत नहीं है। आवेदक को ढोलबज्जा प्रस्थान पर प्राधिकार के नियमानुसार समय–अंतराल रखते हुए संशोधित समय–सारणी प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाता है। जिसका प्रकाशन कार्यालय सूचना पट्ट पर एक सप्ताह के लिए किया जाऐगा। आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाएगी एवं आपत्ति प्राप्त होने पर इसे प्राधिकार के अगामी बैठक में रखा जाएगा। आपत्तिकर्ता का अन्य बिन्दु परिचालन के मध्य बिन्दु है जहॉ पर्याप्त समय अंतराल रखा गया है।

क्र0 सं0	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं0 / वाहन का प्रकार एवं मॉडल / वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण,	पूर्व से आवृत परमिट / आपत्ति / अभियुक्ति	निर्णय
26	मोनिका कुमारी	BR11PD-1777 (बस) 28-12-2024 Cap-41	रूपौली से पूर्णिया कुल खेप–04 कुल दूरी–464	27-12-2026 22-06-2026 22-12-2026 11-03-2027	वाहन सं0–BR11M-4422 के वाहन स्वामी स्वराज कुमार सिंह द्वारा अपने स्थायी परमिट सं0–BR2025-SC-0747A से पूर्णिया प्रस्थानः–08:20 पर आपत्ति दी गई है। आपत्तिकर्ता का पूर्णिया प्रस्थानः–08:23 है।	आवेदक का परिचालन मार्ग रूपौली से पूर्णिया है। जबकि आपत्तिकर्ता का परिचालन मार्ग चपहरी से पूर्णिया है। दोनों वाहन का परिचालन दूरी–60 प्रतिशत से अधिक समान है। प्रस्थान बिन्दू पूर्णिया पर 03 मिनट का समय–अंतराल रखा गया है। आवेदक को निदेश दिया जाता है कि पूर्णिया प्रस्थान बिन्दू पर न्यूनतम 04 मिनट का समय–अंतराल रखते हुए संशोधित समय–सारणी प्रस्तुत करेंगे जिसका प्रकाशन कार्यालय सूचना पट्ट पर एक सप्ताह के लिए किया जाऐगा। आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाएगी एवं आपत्ति प्राप्त होने पर इसे प्राधिकार के अगामी बैठक में रखा जाएगा।
27	स्वराज कुमार सिंह	BR11RA-6001 (बस) 02-12-2024 Cap-41	रूपौली से पूर्णिया कुल खेप–04 कुल दूरी–424	01-12-2026 27-05-2026 29-11-2026 14-12-2026	(i) वाहन सं0-BR11PD-3110 के वाहन स्वामी मोनिका कुमारी द्वारा अपने प्रकाशित समय–सारणी से रूपौली प्रस्थानः–10:00 AM पर आपत्ति दिया है। आवेदिका का रूपौली प्रस्थानः–10:00 AM है। (ii) वाहन सं0–BR11PD-2777 के वाहन स्वामी द्वारा पूर्णिया प्रस्थानः–12:41 पर आपत्ति दी गई है। आपत्तिकर्ता के प्रस्तावित समय–सारणी में पूर्णिया प्रस्थानः–12:38 है।	(i) आपत्तिकर्ता एवं आवेदिका का परिचालन मार्ग रूपौली से पूर्णिया है। आवेदिका का प्रस्तावित समय–सारणी दिनांक–12.03.2026 को प्रकाशित है। जबकि आपत्तिकर्ता का प्रस्तावित समय–सारणी इससे पुर्व दिनांक–23.02.2026 को प्रकाशित है। आपत्ति स्वीकार योग्य है। आवेदक को निदेश दिया जाता है कि रूपौली प्रस्थान पर निर्धारित समय अंतराल रखते हुए संशोधित समय–सारणी प्रस्तुत करेंगे जिसका प्रकाशन कार्यालय सूचना पट्ट पर एक सप्ताह के लिए किया जाऐगा। आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाएगी एवं आपत्ति प्राप्त होने पर इसे प्राधिकार के अगामी बैठक में रखा जाएगा। **(ii)** आवेदक एवं आपत्तिकर्ता दोनों का परिचालन मार्ग सामान है। दोनों वाहन स्वामी द्वारा दिनांक–12.03.2026 को एक ही दिन अपना समय–सारणी प्रस्तुत किया है। प्राधिकार में इस प्रकार के मामले में पूर्व से कोई निर्णय/नियम स्पष्ट नहीं है। ऐसी परिस्थिति में दिनांक–10.04.2026 (शुक्रवार) 11:30 बजें में दोनों वाहन स्वामी के उपस्थिति में उनके बीच संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव के द्वारा लक्की ड्रॉ के माध्यम से विजेता को प्रस्तावित समय–सारणी आवंटित किया जाऐगा।

क्र0 सं0	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं0/ वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण,	पूर्व से आवृत परमिट/आपत्ति/अभियुक्ति	निर्णय
28	दिवाकर कुमार	BR11PD-2777 (बस) 28-12-2024 Cap-41	रूपौली से पूर्णिया कुल खेप–04 कुल दूरी–424	27-12-2026 22-06-2026 22-12-2026 08-01-2027	वाहन सं0–BR11RA-6001 के वाहन स्वामी स्वराज कुमार सिंह द्वारा पूर्णिया प्रस्थान:–12:38 पर आपत्ति दी गई है। आपत्तिकर्ता के समय–सारणी में पूर्णिया प्रस्थान:–12:41 है।	आवेदक एवं आपत्तिकर्ता दोनों का परिचालन मार्ग सामान है। दोनों वाहन स्वामी द्वारा दिनांक–12.03.2026 को एक ही दिन अपना समय–सारणी प्रस्तुत किया है। प्राधिकार में इस प्रकार के मामले में पूर्व से कोई निर्णय/नियम स्पष्ट नहीं है। ऐसी परिस्थिति में दिनांक–10.04. 2026 (शुक्रवार) 11:30 बजे में दोनों वाहन स्वामी के उपस्थिति में उनके बीच संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव के द्वारा लक्की ड्रॉ के माध्यम से विजेता को प्रस्तावित समय–सारणी आवंटित किया जाऐगा।
29	नितेश कुमार चौधरी	BR11PD-2222 (बस) 23-06-2025 Cap-41	पूर्णिया से रूपौली कुल खेप–04 कुल दूरी–424	22-06-2027 25-06-2026 25-06-2026 22-06-2026	वाहन सं0–BR10PA-7250 के वाहन स्वामी स्वराज कुमार सिंह द्वारा अपने स्थायी परमिट सं0–BR2022-SC-0582A से रूपौली, प्रस्थान:–06:27 पर आपत्ति दी गई है। आपत्तिकर्ता का रूपौली प्रस्थान:–06:30 है।	दोनों वाहन का परिचालन मार्ग रूपौली से पूर्णिया है। रूपौली प्रस्थान बिन्दु है जहाँ मात्र 3 मिनट का समय अंतराल रखा गया हैं आवेदक को निदेश दिया जाता है कि 4 मिनट का समय–अंतराल रखते हुए संशोधित समय–सारणी प्रस्तुत करेंगे जिसका प्रकाशन कार्यालय सूचना पट्ट पर एक सप्ताह के लिए किया जाऐगा। आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाएगी एवं आपत्ति प्राप्त होने पर इसे प्राधिकार के अगामी बैठक में रखा जाएगा।

<u>कार्यावली सं0–05.(क)</u>

प्राधिकार की बैठक दिनांक 02.03.2026 के बाद बस/मिनी बस/सिटी राईड आदि के परमिट प्रतिहस्ताक्षर की स्वीकृति पर विचार:–

बस/मिनी बस के कुल–01 स्थायी परमिट प्रतिहस्ताक्षर की स्वीकृति पर विचार किया गया :–

क्र0 स0	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं0/ वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	परमिट सं0	आपत्ति/अभियुक्ति	निर्णय
01.	संदीप कुमार मिश्रा	BR43P-7275 (बस) 29-04-2015 Cap- 41	बरियाही से पूर्णिया कुल खेप–01 कुल दूरी–380	BR2026-SC-0245A क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार सहरसा से निर्गत।	अप्राप्त	स्वीकृत।

कार्यावली सं0—05.(ख)

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के बैठक में वाहन स्वामियों द्वारा पूर्णिया, धमदाहा, बनमनखी, भवानीपुर, रूपौली, चम्पानगर आदि नगर निकायों एवं जिला परिषद, पूर्णिया क्षेत्रान्तर्गत बस स्टेण्ड में बस पड़ाव/बेरियर के नाम पर अवैध रूप से संवेदक द्वारा दैनिक राशि वसूल किये जाने का शिकायत किया गया। कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा बिना समक्ष प्राधिकार के स्तर से बस स्टेण्ड अधिसूचित नही रहने के बावजूद भी गलत तरीके से बस स्टेण्ड का सैरात बन्दोबस्ती किये जाने का शिकायत किया है तथा बस स्टेण्ड पर आधारभूत सुविधाओं यथा पेयजल, शौचालय, बस हेतु ठहरने का जगह का अभाव एवं अन्य की भी शिकायतें की गई।

निर्णयः— **संबंधित नगर आयुक्त, नगर निगम पूर्णिया, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पूर्णिया एवं कार्यपालक पदाधिकारी को नगर निकाय क्षेत्रों के बस स्टेण्ड सैरात बन्दोबस्ती के संबंध में विभागीय प्रावधान तथा बस स्टेण्ड की अधिसूचना के संबंध में यथाशीध्र प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया जाता है।**

कार्यावली सं0—05.(ग)

पूर्णिया— रूपौली मार्ग एवं इसके समरूप 60 प्रतिशत से अधिक समय दूरी वाले मार्ग पर लगभग 60 से अधिक बस का परमिट निर्गत है। उक्त मार्ग पर अधिक संख्या में बस परिचालित होने तथा 04 मिनट का समय—अंतराल का नया Slot लगभग समाप्त हो जाने के कारण परमिट हेतु वाहन स्वामियों में अक्सर विवाद बना रहता है।

निर्णयः— **उक्त मार्ग पर वर्त्तमान में परमिट हेतु प्रस्थान बिन्दु पर 4 मिनट तथा मध्य बिन्दु पर 02 मिनट का समय—अंतराल रखे जाने का प्रावधान है। एक ही मार्ग पर इतने अधिक संख्या में बसों का परिचालन हाने के कारण प्रस्थान बिन्दु पर 04 मिनट का समय—अंतराल लगभग समाप्त हो गया है। अतएव पूर्णिया—रूपौली मार्ग पर बसों के परमिट हेतु प्रस्थान बिन्दु पर समय—अंतराल 04 मिनट से घटकर 02 मिनट किया जाता है। उक्त 02 मिनट के समय—अंतराल की अवधि आगामी बैठक में इस मार्ग पर प्राप्त सभी प्रस्तावित समय—सारणी पर बाध्यकारी होगा। इस बैठक में इस मार्ग हेतु विचाराधीन सभी प्रस्तावित समय—सारणी अपवादिक रूप से पुराना समय—अंतराल से आच्छादित होगा।**

कार्यावली सं0—05.(घ)

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया में नया परमिट/नवीकरण हेतु आवेदन हाईब्रिड मोड (ऑनलाईन/ऑफ लाईन) में प्राप्त किया जाता है। दिनांक—06.01.2026 को आयोजित प्राधिकार के बैठक की कार्यवाही के कार्यावली सं0 5(घ)(6) में ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है।

निर्णयः— **परमिट हेतु सभी प्रकार के आवेदन ऑनलाईन प्राप्त किया जाय।**

कार्यावली सं0–06

बिहार मोटरयान नियमावली, 1992 के नियम–101 के तहत प्राप्त एंजेन्ट अनुज्ञप्ति आवेदन का ब्यौराः–

क्र0 सं0	आवेदक का नाम एवं पता	आधार संख्या	शुल्क/चलान तिथि	चरित्र प्रमाण–पत्र	अभ्युक्ति	निर्णय
1.	नंदु कुमार साह पिता– सुधीर कुमार साह ग्राम+पो0+थाना–दिघलबैंक जिला–किशनगंज।	203556454058	4450 / 03.03.2026	पुलिस अधीक्षक, किशनगंज द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र सं0–BCHC/2026/122048 दिनांक–30.01.2026	दिघलबैंक बस स्टेण्ड, जिला–किशनगंज हेतु।	स्वीकृत।

कार्यावली सं0–06..(क)

प्राधिकार की बैठक दिनांक– 02.03.2026 के बाद जीप/ऑटो रिक्शा/मोटर कैब के निर्गत स्थायी/अस्थायी परमिट का ब्यौराः–

(क) जीप एवं सदृश्य वाहनों के कोई स्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

(ख) ऑटो रिक्शा/मोटर कैब के कुल–40 स्थायी परमिट निर्गत किया गया है।

(ग) ट्रैक्टर ट्रैलर के स्थायी/नवीकरण परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

(घ) ट्रक/पी भान के कोई अस्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

अंत में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

2/4/26
अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया
–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
पूर्णिया।

02/04/26
(अवधेश कुमार आनंद)
संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
पूर्णिया।

02/4/2026.
(राजेश कुमार)
आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल,
–सह–अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार
पूर्णिया।

ज्ञापांक 462 दिनांक 02-04-2026

प्रतिलिपिः– 01. राज्य परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– 02. अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य, क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकार पूर्णिया को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– 03. जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02/04/26
(अवधेश कुमार आनंद)
संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया।